राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरजा बनाम भेरू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	553/2012	
19/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो |	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण भगवाना, भेरू पुत्र बिज्या तथा खाँगा पुत्र देबू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/06/1966 को एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 228, 227, 224, 225 ग्राम पीपलोदनाथू तहसील हाल शाहपुरा जिला जयपुर के बाबत यह वर्णित करते हुये प्रस्तुत किया गया कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी छीतर पुत्र रामनाथ, साधू पुत्र श्योनाथ, घीसा पुत्र काना के नाम दर्ज हो गयी, जिसको दुरुस्ती किया जावे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घासी एवं साधू के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किये जाने पर उनके बयानात लिये गये | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23/11/1966 को वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23/11/1966 विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25/10/2012 को यानी करीबन 46 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गयी है, ऐसेमें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना आवश्यक समझा जाता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने से इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को कन्डोन करवाने हेतु अंकित एवं उद्धरित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है | विधि के प्रावधानों के अनुसार दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक था किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरजा बनाम भेरू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

553/2012

तथ्य अंकित कर करीबन 46 वर्ष के डिले को कन्डोन करवाना चाहा है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।